



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा 2026 के नियमित परीक्षार्थियों के सत्रांक विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन भरने बाबत निर्देश

सत्रांक योजना के अन्तर्गत बोर्ड की उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा में प्रत्येक विषय के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। क्रमांक पं. 3(4) शिक्षा - 6/2021 जयपुर, दिनांक 11.10.2022, शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप - 5) विभाग, जयपुर का पत्रांक : प. 24(10) शिक्षा 6/2022 (राजकाज - 00427) दिनांक 05.08.2025 (राजकाज रेफरेंस आई डी नं. 17007011) एवं क्रमांक शिविरा-माध्य/मान्स/पर्यावरण (36)/वो - 2/2025 दिनांक 20.08.2025 के अनुसार 2026 की नियमित परीक्षार्थियों के लिए सत्रांकों का निर्धारण पृष्ठ संख्या 03 से 06 के अनुसार किया जाये। आपके विद्यालय के जिन नियमित परीक्षार्थियों ने उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा-2026 हेतु परीक्षा आवेदन-पत्र भरा है उनके सत्रांक आपके द्वारा ऑनलाईन भरे जाने हैं, बोर्ड द्वारा पृथक से OMR (ओ.एम.आर.) शीट्स नहीं भिजवाई जायेगी। विद्यालय द्वारा बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर "Online Sessional Main Exam-2026" लिंक पर अपना विद्यालय कोड व ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दिया गया पासवर्ड डालकर परीक्षार्थियों के नामांक के सम्मुख उनके विषयवार सत्रांक भरेंगे। पासवर्ड भूल जाने पर बोर्ड की आई.टी.शाखा में विद्यालय कोड व शाला प्रधान का मोबाईल नम्बर नोट करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।

अंकसूचियाँ/ ऑनलाईन सत्रांक भेजने से पूर्व की प्रक्रिया:-

1. प्रत्येक विषय व प्रश्न पत्र की तीनों सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ सम्बन्धित परीक्षार्थी को दिखाई जाकर आपत्ति का निराकरण कर लिया जाये।
2. विद्यालयी परीक्षा की अंकसूचियों में प्रदत्त नामांक व बोर्ड द्वारा विद्यार्थी को प्रदत्त नामांक, नाम अनुसार अंक मूल अंक सूची में शुद्धता से अंकित किये जाये। गत वर्षों में देखने में आया है कि एक ही नाम के दो विद्यार्थी होने पर उनके अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंक एक दूसरे के परस्पर बदल कर लिख दिए गये। अतः इसका विशेष ध्यान रखें, ऐसी त्रुटि होने से विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है।
3. अंक योजना पृष्ठ 03 से 06 के अनुसार विभाजित सत्रांकों को जोड़कर विद्यार्थी द्वारा कुल अर्जित सत्रांक ऑनलाईन भिजवाने हैं अर्थात् सत्रांकों का उपविभाजन प्रदर्शित नहीं करना है। बोर्ड द्वारा सैद्धान्तिक परीक्षा के लिये यदि पूर्णांक क्रमशः 100, 70, 50, 30 निर्धारित हैं तो इसमें से 20, 14, 10, 6 अंक सत्रांक तथा शेष 80, 56, 40, 24 अंक बोर्ड परीक्षा के लिये हैं। उदाहरण के लिये पूर्णांक 100 वाले विषय में कुल 20 अंक सत्रांक हेतु निर्धारित होंगे जिन्हें विभाजित करने पर 10 अंक तीन सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के अनुपात में, 5 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए तथा 5 अंक विद्यार्थी की उपस्थिति, सद्व्यवहार एवं वृक्षारोपण के आधार पर देय होंगे। यदि किसी विद्यार्थी को अर्द्धवार्षिक परीक्षा तथा तीनों परख में मिलाकर 10 में से 8 अंक, प्रोजेक्ट के लिए 5 में से 4 अंक तथा उपस्थिति, सद्व्यवहार एवं वृक्षारोपण के लिए 5 में से 3 अंक मिलते हैं तो इस विद्यार्थी के $8+4+3=15$ अंक (सत्रांक) प्रेषित किये जायेंगे। यदि विभाजित सत्रांकों का जोड़ भिन्न में प्राप्त हो तो उन्हें अगले अंक तक राउण्ड यथा $14\frac{1}{4}$, $14\frac{1}{2}$ या $14\frac{3}{4}$ के स्थान पर 15 अंक प्रेषित करावें।
4. प्रक्रिया सं. 3 की जाँच दो शिक्षकों द्वारा कराई जाने के बाद ऑनलाईन सत्रांक भरें।
5. ऑनलाईन सत्रांक भरने के पश्चात् इसका अप्रुब्ड प्रिन्ट निकालकर प्रधानाचार्य अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इसे बोर्ड को नहीं भिजवाना है।
6. अंकों की प्रविष्टि करने से पूर्व सम्बन्धित विवरणिका में अंकित योजना व पूर्णांकों एवं न्यूनतम उत्तीर्णांकों की सूची को कृपया पुनः ध्यान से देखें तथा आश्वस्त हो लें कि अंक उस विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा के लिये निर्धारित पूर्णांकों में से ही दिये गये हैं।
7. जिस शिक्षण संस्था से परीक्षार्थी का आवेदन पत्र परीक्षा में बैठने हेतु अग्रेषित किया गया है, उसके प्रधान ही उसके सभी अंक भेजने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा विद्यार्थी जो राजस्थान के किसी अन्य विद्यालय से स्थानान्तरित होकर आने के बाद आपके यहाँ अध्ययनरत है तो पूर्व शाला से

7. जिस शिक्षण संस्था से परीक्षार्थी का आवेदन पत्र परीक्षा में बैठने हेतु अग्रेषित किया गया है, उसके प्रधान ही उसके सभी अंक भेजने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा विद्यार्थी जो राजस्थान के किसी अन्य विद्यालय से स्थानान्तरित होकर आने के बाद आपके यहाँ अध्ययनरत है तो पूर्व शाला से सत्रांक प्राप्त कर बोर्ड को प्रेषित करावें तथा ऑनलाइन भरें (ध्यान रहे बोर्ड नियमानुसार परीक्षार्थी का शाला/केन्द्र परिवर्तन कर दिया गया हो तो यथानुसार कायवाही करें। सामयिक परख के अंक, यदि विद्यार्थी ने प्रोजेक्ट कार्य आपके विद्यालय में प्रस्तुत किया हो तो प्रोजेक्ट कार्य के अंक तथा आपके विद्यालय में रही विद्यार्थी की उपस्थिति, सद्व्यवहार एवं वृक्षारोपण पर आधारित अंक सादे कागज पर दो प्रतियों में बनाकर रजिस्टर्ड डाक से पूर्व विद्यालय को जहाँ से विद्यार्थी स्थानान्तरित होकर आया है, भेज दें।

जिससे समय से पहले ही उस संस्था के प्रधान को अंक प्राप्त हो जाये। इस प्रकार अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पूर्व शाला के प्रधान द्वारा उनके विद्यालय में दी गई सामयिक परख तथा उपस्थिति, सद्व्यवहार एवं वृक्षारोपण आधारित अंकों तथा विद्यार्थी के वर्तमान विद्यालय से प्राप्त अंकों को मिलाकर आनुपातिक रूप से नियमानुसार सत्रांक तैयार कर ऑनलाइन भरे जायेंगे। इसी प्रकार आपकी शाला से परीक्षार्थी आवेदन-पत्र अग्रेषित हो जाने के उपरान्त यदि कोई परीक्षार्थी किसी अन्य विद्यालय में चला गया हो किन्तु उसका आवेदन-पत्र आपके विद्यालय द्वारा अग्रेषित है तो उसके प्राप्तांक वहाँ से मंगवाकर इसी रीति से ऑनलाइन भरें।

8. किसी भी अवस्था में ऑनलाइन अंकसूची में किसी नामांक के लिये कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाए। यदि विद्यार्थी ने किसी विषय विशेष/तृतीय भाषा में स्वअध्ययन किया है तो उस विषय के कॉलम में ऑनलाइन भरते समय **NOT APPLICABLE** लिखा जावे। शाला से नाम पृथक (NSO) एवं उपस्थिति न्यूनता के कारण बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने से रोके गये (DETAIN) परीक्षार्थियों के ऑनलाइन सत्रांक प्रेषण के समय सभी विषयों में अनुपस्थित (ABSENT) दर्ज करना है। **NOT APPLICABLE** केवल विषय परिवर्तन/स्वअध्ययन की स्थिति में ही दर्ज करना है। ऐसे विषय के सत्रांक/स्वअध्ययन की सूचना पृथक से पत्र द्वारा प्रमाणित कर बोर्ड को अनिवार्य रूप से सूचित करना है। इसके अभाव में परीक्षार्थी का परिणाम उस विषय में सत्रांक में अनुपस्थित अंकित कर घोषित कर दिया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान की रहेगी।
9. (i) श्रेणी सुधार (कैटेगरी-2) में प्रविष्ट परीक्षार्थियों के कक्षा 12 में समाज सेवा योजना विषय कोड 78, कक्षा 12 आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1/भाग-2 (विषय कोड 79), कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति (विषय कोड-79), FOIT विषय कोड 80, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय कोड 82, SUPW & CS विषय कोड 81, कला शिक्षा विषय कोड 83 के अंक एवं ग्रेड प्रविष्ट नहीं करने हैं।
- (ii) नियमित विद्यार्थी के रूप में गत वर्षों में प्रविष्ट होकर अनुत्तीर्ण रहे अथवा श्रेणी सुधार हेतु पुनः प्रविष्ट हो रहे विद्यार्थी यदि पुनः नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रविष्ट हो रहे हों तो कृपया उनके सत्रांक भी उपरोक्त योजनानुसार ही भेजें।

10. वर्ष 2026 की परीक्षाओं के सत्रांक प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित :-

क्र. सं.	श्रेणी	प्रक्रिया	विलम्ब शुल्क/शास्ति प्रति परीक्षार्थी संशोधन सहित	अधिकतम शास्ति राशि प्रति विद्यालय संशोधन सहित
1	2	3	4	5
1.	प्रथम बार-30 दिवस की अवधि में	पोर्टल से	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
2.	अंतिम तिथि के बाद अगले 7 दिवस में विलम्ब शुल्क सहित चाहे सम्पूर्ण सत्रांक नहीं भरे हो या आंशिक अथवा किसी विषय विशेष के नहीं भरे हों। (ग्रेडिंग सहित)	पोर्टल से	रु. 50/- प्रति परीक्षार्थी	रु. 5000/- प्रति विद्यालय प्रति परीक्षा
3.	क्रमांक 02 की तिथि विगत होने के बाद अगले 7 दिवस में दुगुने विलम्ब शुल्क सहित चाहे सम्पूर्ण सत्रांक नहीं भरे हो या आंशिक अथवा किसी विषय विशेष के नहीं भरे हों। (ग्रेडिंग सहित)	पोर्टल से	रु. 100/- प्रति परीक्षार्थी	रु. 10,000/- प्रति विद्यालय प्रति परीक्षा
4.	क्रमांक 3 की तिथि विगत होने के बाद एडिट प्राप्त होने से परिणाम घोषणा हेतु डाटा लॉक करने तक। चाहे सम्पूर्ण सत्रांक नहीं भरे हो या आंशिक अथवा किसी विषय विशेष के नहीं भरे हों (ग्रेडिंग सहित)।	कार्यालय में व्यक्तिशः शास्ति शुल्क जमा कराकर	रु. 150/- प्रति परीक्षार्थी	रु. 15,000/- प्रति विद्यालय प्रति परीक्षा
5.	परिणाम की तैयारी हेतु डेटा लॉक करने के बाद प्राप्त प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा परिणाम घोषणा के बाद विषयान्तर्गत कार्यवाही की जावेगी परन्तु ऐसे प्रकरणों (विषय कोड-79 विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन को छोड़कर) में अनुपस्थित मानकर परिणाम घोषित कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान की रहेगी।			

नोट:-

1. प्रथम बार डेटा लॉक करने से पूर्व विद्यालय एक बार संशोधन विद्यालय स्तर पर ऑनलाईन कर सकेगा उसके पश्चात् संशोधन बिन्दु 2, 3 व 4 के अनुसार उल्लेखित अवधि में ही संशोधन कर सकेगा।
2. एक बार सत्रांक दर्ज करने के बाद किसी एक विषय/सम्पूर्ण विषय/ग्रेडिंग में संशोधन किये जाने पर प्रति परीक्षार्थी कॉलम संख्या 4 में अंकित शुल्क ही लिया जावेगा।
3. परीक्षार्थी के एक से अधिक विषय के सत्रांक/ग्रेडिंग बकाया है तो कॉलम 04 में अंकित प्रति परीक्षार्थी शुल्क ही लिया जावेगा।
4. प्रस्तावित तिथियों/अवधि/प्रक्रिया में माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से संशोधन किया जा सकेगा।

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिये सत्रांक योजना

कक्षा 12 (उच्च माध्यमिक) परीक्षा-2026 के लिए विषयवार अंकयोजना/परीक्षा योजना												
विषय एवं विषय कोड संख्या	प्रश्न पत्र	समय (घंटे)	अंक	सत्रांक का विभाजन						कुल सत्रांक	पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णा
				स्थानीय	प्रोजेक्ट	वृक्षारोपण	उपस्थिति	व्यवहार	वृक्षारोपण			
अनिवार्य विषय												
1.हिन्दी (01)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	4	1	3	1	1	20	100	33
2.अंग्रेजी (02)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	4	1	3	1	1	20	100	33
3.आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2(79)	सैद्धान्तिक	3:15	80		20					20	100	33
4.समाज सेवा योजना (78)			विवरणिका में दिये निर्देशानुसार									

वैकल्पिक विषय												
कला संकाय												
				स्थानीय	प्रोजेक्ट	उपस्थिति	व्यवहार	वृक्षारोपण				
5. अर्थशास्त्र (10)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
6. राजनीतिक विज्ञान (11)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
7. संस्कृत साहित्य (12)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
8. इतिहास (13)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
9. भूगोल (14)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23	
	प्रायोगिक	3:30								30	10	
10. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	

11. अंग्रेजी साहित्य (20)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
12. हिन्दी साहित्य-(21)/उर्दू(22)/सिन्धी (23)/गुजराती (24)/पंजाबी (25)/राजस्थानी(26)/फारसी (27)/प्राकृत (28)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
13. संगीतकण्ड (16)	सैद्धान्तिक	3:15	24	3		1.5	0.5	1	6	30	10
अथवा वाद्य संगीत (वाद्य यंत्रों हेतु पाठ्यक्रम देखें)	प्रायोगिक									70	23
अथवानृत्य											
14. चित्रकला (17)	सैद्धान्तिक	3:15	24	3		1.5	0.5	1	6	30	10
	प्रायोगिक									70	23
15. गृहविज्ञान (18)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक									30	10
16. समाजशास्त्र (29)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
17. दर्शनशास्त्र (85)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
18. मनोविज्ञान (19)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
19. शारीरिक शिक्षा (60)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
20. लोक प्रशासन (6)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
21. कम्प्यूटर विज्ञान (03)/इन्फॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	3:00								30	10
22. पर्यावरण विज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
23. व्यावसायिक ट्रेड विषय(कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	30	10	5	3	1	1	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00								50	17
वाणिज्य संकाय											
24. लेखाशास्त्र (30)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
25. व्यवसाय अध्ययन (31)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
26. अर्थशास्त्र (10)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
27. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
28. अंग्रेजी शीघ्रलिपि (33)	सैद्धान्तिक	1:00	40	5	2.5	1.5	0	1	10	50	17
29. हिन्दी शीघ्रलिपि (32)	सैद्धान्तिक	1:00	40	5	2.5	1.5	0	1	10	50	17
30. हिन्दी (34) एवं अंग्रेजी (35) टंकण	सैद्धान्तिक	1:00	40	5	2.5	1.5	0	1	10	50	17
31. कम्प्यूटर विज्ञान (03)/इन्फॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	3:00								30	10
32. पर्यावरण विज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
33. व्यावसायिक ट्रेड विषय(कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	30	10	5	3	1	1	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00								50	17

विज्ञान संकाय											
34. भौतिक विज्ञान (40)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
35. रसायन विज्ञान (41)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
36. जीव विज्ञान (42)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
37. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
38. भू-विज्ञान (43)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
39. कंप्यूटर विज्ञान (03)/इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	3:00								30	10
40. पर्यावरण विज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
41. व्यवसायिक ट्रेड विषय (कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	30	10	5	3	1	1	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00								50	17

कृषि संकाय											
42. कृषि (84)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
43. कृषि जीव विज्ञान (38)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
44. भौतिक विज्ञान (40)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	3:00								30	10
45. कृषि रसायन विज्ञान (39)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
46. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
47. कंप्यूटर विज्ञान (03)/इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
48. पर्यावरण विज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
49. व्यवसायिक ट्रेड विषय (कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	30	10	5	3	1	1	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00								50	17

(1) बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांक के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा में किसी विषय के 100, 70, 50, या 30 पूर्णांक सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं तो सत्रांक हेतु पूर्णांक क्रमशः 20, 14, 10 या 6 निर्धारित होंगे।

(2) (अ) सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे अर्थात् पूर्णांक 100 में से 20 अंक सत्रांक के होंगे, जिसका विभाजन इस प्रकार होगा— नियमित विद्यार्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के लिए 10% अंक,

प्रोजेक्ट कार्य के हिन्दी अनिवार्य एवं अंग्रेजी अनिवार्य के लिए 4-4 अंक रहेंगे तथा शेष विषयों के पूर्ववत् 5 अंक होंगे, उपस्थिति, सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण के अंक उपर्युक्त तालिकानुसार होंगे।

(i) 3% उपस्थिति पर अंक निम्नानुसार दिये जा सकेंगे:-

- 75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक (कुछ विषयों में तालिकानुसार ½)
- 81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2 अंक (कुछ विषयों में तालिकानुसार 1)
- 86% से 100% तक उपस्थिति होने पर 3 अंक (कुछ विषयों में तालिकानुसार 1½)

(ii) सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण के अंक उपर्युक्त तालिकानुसार होंगे।

(ब) संगीत एवं चित्रकला के अतिरिक्त ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक 20% होंगे जिसके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% अंक होंगे। सैद्धान्तिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(i) 3 अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर निम्नानुसार दिये जा सकेंगे :-

- 75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक
- 81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2 अंक
- 86% से 100% तक उपस्थिति होने पर 3 अंक

(ii) 3 अंक प्रोजेक्ट कार्य हेतु निर्धारित होंगे।

(iii) सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण के अंक उपर्युक्त तालिकानुसार होंगे।

(iv) सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।

(स) संगीत और चित्रकला विषयों में सत्रांक विभाजन निम्नानुसार होगा-

लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे जिसके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% अंक होंगे। शेष अंक उपस्थिति एवं व्यवहार में निम्नानुसार देय होंगे-

विद्यार्थियों की उपस्थिति पर निम्नानुसार अंक दिये जा सकेंगे

75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 0.5 अंक

81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 1.0 अंक

86% से 100% तक उपस्थिति होने पर 1.5 अंक

0.5 सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण का 1 अंक देय होंगे।

उक्त दोनों विषयों में क्रियात्मक कार्य पर्याप्त मात्रा में होने के कारण प्रोजेक्ट के अंक निर्धारण नहीं किया गया है।

(3) उच्च माध्यमिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में नियमित रूप से प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिये समाज सेवा योजना विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन अनिवार्य विषय है। इस विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाना है। समाज सेवा योजना विषय के पूर्णांक 100 रहेंगे तथा प्राप्तांकों को निम्न सारणी अनुसार ग्रेड में परिवर्तित कर ग्रेड भरनी है।

समाज सेवा योजना - विषय कोड - 78

प्राप्तांक	ग्रेड
80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक	ए (A) ग्रेड
60 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक	बी (B) ग्रेड
50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक	सी (C) ग्रेड
50 प्रतिशत से नीचे	डी (D) ग्रेड

समाज सेवा योजना की ग्रेडिंग को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन भरें अन्यथा विद्यार्थी का परिणाम रोक लिया जायेगा।

विषय कोड (79) आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1/भाग-2 में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में इन विषय में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी पुनः परीक्षा लेकर समय से अंक भिजवाये जाने हैं अन्यथा विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।

- (4) वाणिज्य वर्ग के विषय कोड 32 – हिन्दी शीघ्र लिपि, 33 – अंग्रेजी शीघ्र लिपि तथा 34 व 35 टंकण लिपि हिन्दी व अंग्रेजी में सत्रांक विषयवार निर्धारित नहीं है अपितु इन्हें प्रश्नपत्रवार अलग-अलग भेजना है जिसके लिए सत्रांक कोड निम्नानुसार है:-

(1) हिन्दी शीघ्रलिपि	– पेपर कोड 32/3	} प्रत्येक पेपर के सत्रांक के पूर्णांक 10 होंगे।
(2) हिन्दी टंकणलिपि	– पेपर कोड 34/3	
(3) अंग्रेजी शीघ्रलिपि	– पेपर कोड 33/3	
(4) अंग्रेजी टंकणलिपि	– पेपर कोड 35/3	
(5) टंकण लिपि हिन्दी	– पेपर कोड 34/3	
(6) टंकण लिपि अंग्रेजी	– पेपर कोड 35/3	

माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा के लिए सत्रांक योजना

- (1) बोर्ड परीक्षा में सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांकों के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। जैसे बोर्ड की परीक्षा के 100 पूर्णांक सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं तो सत्रांक हेतु पूर्णांक 20 निर्धारित होंगे।
- (2) राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति (79), फाउंडेशन ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (80) तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (82) विषयों में विद्यालय आधारित मूल्यांकन करें। इन विषयों में परीक्षार्थी द्वारा अर्जित अंक यथावत ऑनलाइन भरे जायेंगे। विषय कोड (79) में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक हैं। यदि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में इन विषय में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी पुनः परीक्षा लेकर समय से अंक भिजवाये जाने हैं अन्यथा विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।
- (3) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा तथा कला शिक्षा विषयों में सतत् मूल्यांकन के आधार पर ग्रेडिंग देनी है। ग्रेडिंग का निर्धारण बिन्दु संख्या –6 के अनुसार करें।
- (4) नियमित परीक्षार्थियों के लिए सत्रांकों का विभाजन निम्नानुसार रहेगा:-

(i) 10 प्रतिशत सत्रांक – तीनों सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के अनुपात में देय होंगे।

(ii) 5 प्रतिशत सत्रांक – प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर देय होंगे।

(iii) 5 प्रतिशत सत्रांक – विद्यार्थी की उपस्थिति, सद्व्यवहार एवं वृक्षारोपण के आधार पर देय होंगे।

सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे अर्थात् पूर्णांक 100 में से 20 अंक सत्रांक के होंगे, जिसका विभाजन इस प्रकार होगा- नियमित विद्यार्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के लिए 10 अंक, 5 अंक प्रोजेक्ट कार्य (केवल विज्ञान के लिए 4 अंक प्रोजेक्ट के एवं 1 अंक वृक्षारोपण का रहेगा), 3 अंक उपस्थिति, 1 अंक सद्व्यवहार तथा 1 अंक वृक्षारोपण (मुख्य 6 विषयों में) के होंगे।

(i) उपस्थिति पर अंक निम्नानुसार दिये जा सकेंगे:-

75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक

81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2 अंक

86% से 100% तक उपस्थिति होने पर 3 अंक

(ii) 1 अंक कक्षा में सद्व्यवहार का देय होगा तथा 1 अंक वृक्षारोपण का देय होगा (मुख्य 6 विषयों में)।

(iii) सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।

(iv) सत्रांकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।

(v) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए अंकतालिका में विषयवार प्राप्तांक के 20% अंक पूर्णांक में परिवर्तित कर सत्रांक के रूप में दर्शाए जाएंगे।

(5)

कक्षा 10 (माध्यमिक) परीक्षा-2026 के लिए परीक्षा योजना													
विषय एवं विषय कोड संख्या	प्रश्न पत्र	समय (घंटे)	सैद्धान्तिक परीक्षा	प्रयोगिक परीक्षा	सत्रांक का विभाजन						कुल सत्रांक	योग	उत्तीर्णांक
					स्थानीय परीक्षा %	प्रोजेक्ट	वृक्षारोपण	उपस्थिति	सद्व्यवहार	वृक्षारोपण			
हिन्दी अनिवार्य (01)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
अंग्रेजी अनिवार्य (02)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
तृतीय भाषा: ;कोई एक संस्कृत(71)/उर्दू(72)/ गुजराती (73)/सिन्धी (74)/पंजाबी(75)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
विज्ञान (07)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	4	1	3	1	1	20	100	33
समाजिक विज्ञान (08)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
गणित (09)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
व्यावसायिक शिक्षा (कोई एक विषय) (केवल चयनित विद्यालयों में लागू)	सैद्धान्तिक	3:15	30		10	5	0	3	2	0	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00		50								50	17
राज. इति. एवं संस्कृति(79) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	80			20					20	100	33
शा. एव. स्वा. शिक्षा (82) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5		3	2		20	100	33
सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा-II (80) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	70									70	33
	प्रायोगिक			30								30	
समाजोपयोगी उत्पा. कार्य एवं समाज सेवा (81) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	अनिवार्य प्रवृत्ति	25	100		1. इन विषयों का अंक तालिका में ग्रेडिंग का अंकन होगा। 2. नियमित छात्रों के लिए अनिवार्य अर्हता कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र उपस्थिति पत्र के साथ ही शाला प्रधान द्वारा बोर्ड कार्यालय को भेजा जाना आवश्यक है।								
	वैकल्पिक प्रवृत्ति	45											
	शिविर	30											
कला शिक्षा	सैद्धान्तिक	35	100										
	प्रयोगिक	45											
	प्रस्तुति कार्य	20											

कक्षा 10 अंक विभाजन						
परीक्षा का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	सामा.विज्ञान	संस्कृत	विज्ञान
प्रथम परख	10	10	10	10	10	10
द्वितीय परख	10	10	10	10	10	10
अर्द्धवार्षिक परीक्षा	70	70	70	70	70	70
तृतीय परख	10	10	10	10	10	10
वार्षिक परीक्षा	80	80	80	80	80	80
वृक्षारोपण	1	1	1	1	1	2
प्रोजेक्ट	5	5	5	5	5	4
सद्व्यवहार	1	1	1	1	1	1
उपस्थिति	3	3	3	3	3	3
योग	200	200	200	200	200	200

प्रवेशिका कक्षा 10 परीक्षा-2026 के लिए परीक्षा योजना

विषय एवं विषय कोड संख्या	प्रश्न पत्र	समय (घंटे)	सैद्धान्तिक परीक्षा	प्रयोगिक परीक्षा	सत्रांक का विभाजन						कुल सत्रांक	योग	उत्तीर्णांक
					स्थानीय परीक्षा %	प्रोजेक्ट	वृक्षारोपण	उपस्थिति	सद्व्यवहार	वृक्षारोपण			
हिन्दी अनिवार्य (01)	सैद्धान्तिक	3:15	40		5	2.5	0	1.5	½	½	10	50	17
अंग्रेजी अनिवार्य (02)	सैद्धान्तिक	3:15	40		5	2.5	0	1.5	½	½	10	50	17
तृतीय भाषा: ;कोई एक संस्कृत(71)/उर्दू(72)/ गुजराती (73)/सिन्धी (74)/पंजाबी(75)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
विज्ञान (07)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	4	1	3	1	1	20	100	33
समाजिक विज्ञान (08)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
गणित (09)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
व्यावसायिक शिक्षा (कोई एक विषय) (केवल चयनित विद्यालयों में लागू)	सैद्धान्तिक	3:15	30		10	5	0	3	2	0	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00		50								50	17
राज. इति. एवं संस्कृति(79) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	80			20					20	100	33
शा. एव. स्वा. शिक्षा (82) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	2	0	20	100	33
सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा-II (80) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	70									70	33
	प्रायोगिक			30								30	
समाजोपयोगी उत्पा. कार्य एवं समाज सेवा (81) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	अनिवार्य प्रवृत्ति वैकल्पिक प्रवृत्ति शिविर	25 45 30	100			1. इन विषयों का अंक तालिका में ग्रेडिंग का अंकन होगा। 2. नियमित छात्रों के लिए अनिवार्य अर्हता कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र उपस्थिति पत्र के साथ ही शाला प्रधान द्वारा बोर्ड कार्यालय को भेजा जाना आवश्यक है।							
कला शिक्षा (83)	सैद्धान्तिक प्रयोगिक प्रस्तुति कार्य	35 45 20		100									

कक्षा 10 (प्रवेशिका) अंक विभाजन						
परीक्षा का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	सामा.विज्ञान	संस्कृत	विज्ञान
प्रथम परख	5	5	10	10	10	10
द्वितीय परख	5	5	10	10	10	10
अर्द्धवार्षिक परीक्षा	35	35	70	70	70	70
तृतीय परख	5	5	10	10	10	10
वार्षिक परीक्षा	40	40	80	80	80	80
वृक्षारोपण	1	1	1	1	1	2
प्रोजेक्ट	5	5	5	5	5	4
सद्व्यवहार	1	1	1	1	1	1
उपस्थिति	3	3	3	3	3	3
योग	100	100	200	200	200	200

- (6) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा तथा कला शिक्षा विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। इन विषयों के पूर्णांक 100 रहेंगे तथा अर्जित प्राप्तांकों को निम्नानुसार ग्रेड में परिवर्तित कर ऑनलाईन ग्रेड अंकित की जायेगी।

अंको का प्रतिशत	ग्रेड
81 से 100 प्रतिशत तक	ए (A) ग्रेड
61 से 80 प्रतिशत तक	बी (B) ग्रेड
41 से 60 प्रतिशत तक	सी (C) ग्रेड
21 से 40 प्रतिशत तक	डी (D) ग्रेड
20 प्रतिशत से नीचे	ई (E) ग्रेड

व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा के लिए सत्रांक योजना

व्यावसायिक शिक्षा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय लेवल-2 (कक्षा-10) में जिन परीक्षार्थियों ने अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड विषय का चयन किया है तो उनकी सैद्धान्तिक परीक्षा के अलावा 20 अंक सत्रांक की व्यवस्था है जिनके विषय निम्नानुसार हैं :-

लेवल-2 (कक्षा-10) व्यावसायिक शिक्षा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय की परीक्षा योजना :-

केवल चयनित विद्यालयों में लागू

क्र.सं.	विषय कोड	विषय (कोई एक)	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिये पूर्णांक
1.	101	Automotive	100	20
2.	102	Beauty & Wellness	100	20
3.	103	Health Care	100	20
4.	104	IT & ITES	100	20
5.	105	Retail	100	20
6.	106	Travel & Tourism / Tourism and Hospitality	100	20
7.	107	Private Security	100	20
8.	108	Apparels Made-UPS & Home Furnishings	100	20
9.	109	Electronics and Hard ware	100	20
10.	110	Agriculture	100	20
11.	111	Plumber	100	20
12.	112	Telecom	100	20
13.	113	Banking Financial Services & Insurance	100	20
14.	114	Construction	100	20
15.	115	Food Processing	100	20

- क्र.सं. 13, 14 व 15 अंकित ट्रेड सत्र 2021-2022 में नवीन अनुमोदित हुए हैं। जिनका क्रियान्वयन वर्तमान सत्र में कक्षा-9 व 10 से किया जाना है।

लेवल-4 (कक्षा-12) व्यावसायिक शिक्षा :-

क्र.सं.	विषय कोड	विषय (कोई एक)	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिये पूर्णांक
1.	101	Automotive	100	20
2.	102	Beauty & Wellness	100	20
3.	103	Health Care	100	20
4.	104	IT & ITES	100	20
5.	105	Retail	100	20
6.	106	Travel & Toursim & Hospitality	100	20
7.	108	Apparels Made-UPS & Home Furnishings	100	20
8.	109	Electrical & Electronics	100	20
9.	110	Agriculture	100	20
10.	111	Plumber	100	20
11.	112	Telecom	100	20
12.	113	Banking Financial Services & Insurance	100	20
13.	114	Construction	100	20
14.	115	Food Processing	100	20

कक्षा-10 व 12 (व्यावसायिक शिक्षा) हेतु:-

- लिखित परीक्षा-30 अंक (सत्रांक रहित), सत्रांक -20 अंक तथा प्रायोगिक परीक्षा-50 अंक में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- सत्रांक के 20 अंक का विभाजन-10 अंक स्थानीय, 05 अंक प्रोजेक्ट, 03 अंक उपस्थिति, 01 अंक सद्व्यवहार एवं 01 अंक वृक्षारोपण के देय होंगे।
- कक्षा-9 व 11 की वार्षिक (सैद्धान्तिक व प्रायोगिक) परीक्षाएँ विद्यालय स्तर से ही आयोजित की जायेंगी तथा परीक्षा परिणाम भी विद्यालय स्तर से जारी किया जायेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रेषित परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक की दो सूची तैयार करेंगे। एक सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा दूसरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करेंगे।
- कक्षा 9 व 11 में संचालित विषयों में प्रविष्ट परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम अपलोड करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी सम्बन्धित विद्यालयों के लिंक खोले जायेंगे जिससे विद्यालय अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यावसायिक विषय के सत्रांक, सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक आदि अपलोड करेंगे जिसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से सम्पर्क कर प्रत्येक लेवल उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों हेतु प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे।

शाला प्रधानों हेतु विशेष अनुदेश:-

- सत्रांक के अभाव में परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम बिना किसी पूर्व सूचना, विषयों में अनुपस्थित अंकित कर परिणाम जारी कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।
- सत्रांकों में यदि कोई त्रुटि बाद में पाई गई तो शाला प्रधान इस हेतु व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। इस हेतु उचित होगा कि आप सभी विषयाध्यापकों को एक साथ प्रशिक्षण देकर सादे कागज पर सत्रांक तैयार करवावें ताकि उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होवे।
- आप द्वारा ऑनलाईन सत्रांक भरने के उपरान्त उनमें रही त्रुटि में सुधार हेतु प्रक्रिया बिन्दु 10 में निर्धारित है। इसके उपरान्त भी संशोधन हेतु सूचना प्राप्त हुई तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर/निदेशक (संस्कृत शिक्षा) जयपुर को भी लिखा जायेगा एवं विभाग द्वारा दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्ति को बोर्ड के सभी पारिश्रमिक कार्यों से भी वंचित कर दिया जावेगा।
- परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त सत्रांक व ग्रेडिंग में किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टि में आये तो परीक्षार्थी के हित में सत्रांक व ग्रेडिंग में संशोधन पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। इस हेतु संशोधन कराने के लिए आवेदन की तिथियाँ व शुल्क निम्नानुसार निर्धारित हैं:-

- (i) प्रति परीक्षार्थी प्रति विषय रु. 200/- सामान्य शुल्क सहित सत्रांक अथवा ग्रेड संशोधन के प्रकरण स्वीकार करने की अंतिम तिथि परिणाम घोषित होने की तिथि से दो माह में।
- (ii) उक्त बिन्दु-01 की तिथि विगत होने के पश्चात् प्रति परीक्षार्थी प्रति विषय रु. 200/- एवं रु. 200/- अतिरिक्त विलंब शुल्क सहित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन माह में।
- (iii) उक्त तिथियों के बाद किसी भी स्थिति में सत्रांक संशोधन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

संशोधन हेतु शुल्क नकद राशि सहित तीनों सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की मूल अंकसूचियाँ व मूल उत्तर पुस्तकें प्रोजेक्ट कार्य फाईल, त्रुटि के सम्बन्ध में शाला प्रधान का स्पष्टीकरण, विद्यार्थी की बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल अंकतालिका, विद्यालयी परीक्षाओं हेतु आवंटित नामांक रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर आदि मूल प्रलेख सहित प्रकरण शाला प्रतिनिधि द्वारा सीधे बोर्ड की गोपनीय शाखा में प्रस्तुत किये जाने पर आवश्यक सत्यापन के बाद ही अपेक्षित संशोधन करना सम्भव हो पायेगा। बोर्ड द्वारा शाला प्रतिनिधि को कोई यात्रा/दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5. सत्रांकों से संबंधित अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जाँच की जा सकती है। इसी संदर्भ में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक, शिक्षा विभाग प 3(3) शिक्षा-6/08 दिनांक 19.11.2008 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर मानेटरिंग की जायेगी तथा मा.शि.बो. अजमेर द्वारा **Random Sampling** के आधार पर जांचकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सम्पर्क सूत्र (कार्यालय समय) कार्य दिवस हेतु

- (अ) बोर्ड परीक्षाओं/योजना आदि की जानकारी के लिये कार्यालय समय में दूरभाष संख्या 0145-2620739
- (ब) कम्प्यूटर/ऑनलाईन/ तकनीकी जानकारी हेतु आई.टी. शाखा के दूरभाष संख्या 0145-2627454

विशेष सूचना

ऑन लाईन प्रेषित सत्रांकों की हार्ड कॉपी बाबत :-

बोर्ड की सभी परीक्षाओं के ऑनलाईन भरे गये सत्रांकों की हार्ड कॉपी बोर्ड को नहीं भिजवानी है इसे शाला प्रधान विद्यालय रिकॉर्ड पर सुरक्षित रखे। बोर्ड को आवश्यकता होने पर मंगवाई जा सकती है।

उप निदेशक
(गोपनीय)